श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

क्रमांक:एफ-3/08/एलबीएस/शै०/2021-22/ 598 **दिनांक: 16-09-2021**

कार्यालयीय सूचना

कार्यालयीय सूचना संख्या एफ-3/31/एलबीएस/शै0/2021-22/387 दिनांक 30.07.2021 के निरन्तर में समस्त पीठ प्रमुख/विभागाध्यक्षों को पुन: सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 का शुभारम्भ दिनांक 30.08.2021 से किया जा चुका है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शास्त्री, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर, बी.ए योग, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर, आचार्य एवं एम.ए. योग, तृतीय तथा अंशकालीन पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु प्रोन्नत छात्रों को आगामी सेमेस्टर में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाने हेतु दिनांक 19.09.2021 तक अन्तिम तिथि बढ़ाई जा चुकी है। जिसका लिंक विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को उनके मोबाईल नम्बर पर एस.एम.स./व्हाट्सप द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत छात्रों के अध्यापन संचालन करने हेतु सभी विभागों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1. शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत छात्रों की कक्षाओं का आयोजन संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम (गूगलमीट/क्लास) से किया जाएगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा विभागीय समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन (गूगलमीट/क्लास) द्वारा छात्रों की कक्षाओं का संचालन पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा तथा अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाएं एवं छात्रों की उपस्थिति प्रत्येक माह के अंत में अपने पीठ प्रमुख/शैक्षणिक विभाग को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। गूगलमीट द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने पर व्याख्यान की रिकार्डिंग करना और रिकार्डिंग का लिंक छात्रों को देना अनिवार्य होगा। जिससे छात्र रिकार्डिंग व्याख्यान को अपने समयानुसार अध्ययन कर सके।

2. शास्त्री/बी.ए.योग, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर, आचार्य/एम.ए. योग, तृतीय सेमेस्टर तथा अंशकालीन पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों का अध्ययन-अध्यापन विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही किया जायेगा।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्ययन-अध्यापन हेतु 6 कार्यदिवस (सोमवार से शनिवार तक)/ समय सप्ताह के अनुसार कक्षाओं का संचालन करना अनिवार्य होगा।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अध्यापकों को समय-सारिणी अनुसार न्यूनतम 5 घण्टे अध्ययन-अध्यापन एवं शोधकार्यो में संलग्न रहना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा का कालांश 60 मिनट

5. शिक्षा मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णयों समस्त अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

6. ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन एवं निरीक्षण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसकी समय-समय पर शैक्षणिक विभाग को रिपोर्ट प्रेषित करनी अनिवार्य होगी।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त पीठ प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष
2. विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)
3. उपकुलसचिव (परीक्षा एवं शैक्षणिक)
4. सहायक कुलसचिव लेखा
5. सहायक पुस्ताकालयाध्यक्ष
6. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर
7. छात्रावास अधिष्ठाता
8. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. कुलपति एवं कुलसचिव के निजी सचिव
10. सम्बन्धित पंजिका

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)